

This drawing is a "COPYRIGHT" contents of this drawing or part thereof may not be used or reproduced without the permission of the Architect.

PROJECT:-
 COMPILING & PROPOSED GROUP HOUSING-3 AT KHASRA NO 15307, 154 (P), 15307, 153, 15309, 15715-S IN CHANSE INTEGRATED TOWNSHIP AT SULTANPUR ROAD, LUCKNOW (U.P.)

NOTES

1. मु. काविल तथा मु. वा. विवाद के संबंध में प्रकृति की कोई विवेचना नहीं होगी। विकासकर्ता लेवल परी मु. वा. विवाद/विवाद का प्रकृति का स्वामि व अन्य विकासकर्ता कम्पनी के नाम है। मु. वा. के मु. वा. पर विकास नाम का काविल ग्राम नाम की मु. वा. व अन्य की मु. वा. होने के कारण विकासकर्ता के पक्ष में नहीं है, उस मा. वा. पर विकासकर्ता वक एक कोई निर्माण या विकास कार्य नहीं करेगा जब तक कि उस मा. वा. का पुनर्हण/अधिग्रहण/मु. वा. ग्राम की कार्यवाही विकासकर्ता के पक्ष में न हो जाये।

2. सर्वेक्षण कार्यालय के जम में क्षेत्र सर्वेक्षण नाम के अनुसार पुनर्हण किया जाना सुनिश्चित करना होगा।

3. लेवल सर्वेक्षण प्लान व सर्वेक्षण प्लान के अनुसार लेवल पर भी विकास कार्य पूर्ण करने होंगे।

4. प्रकृति ग्राम नाम अधिकारी के निर्देशों का पालन करना होगा।

5. प्रकृति प्रकृति पर कार्य करना होगा।

6. प्रकृति सर्वेक्षण एवं लेवल सर्वेक्षण के अनुसार पुनर्हण करना होगा।

7. सर्वेक्षण प्लान-2010, लेवल प्लान का अनुपालन एवं निर्माण समतल का 1 प्रतिशत लेवल सेट नियमानुसार जमा करना होगा।

8. लेवल पर सांघीक रूप से विकासवादी विवेचन हेतु रूम का निर्माण एवं बमबारीत सुविधाओं का विकास करना होगा।

9. लेवल पर मानचित्र सर्वेक्षण सम्बन्धी सुचनाएं लगाना होगा।

10. यदि कोई देवदार निकलती है तो अधिकार द्वारा मीने जाने पर अतिरिक्त जमा करना होगा।

11. यदि भविष्य में देवी कोई बात प्रकाश में आती है कि विकासकर्ता द्वारा कोई कृषि धुसा कर मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा किसी प्रविष्टि का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।

12. मैकेनिकल चार्जिंग हेतु पूर्व सर्वेक्षण मानचित्र के समान प्रस्तुत किए गए मा. वा. की अथवा निगत समयावधि अनर्गत बदला कर संशोधित किए गए मा. वा. प्रस्तुत करनी होगी।

म. सं. 1-24/01/2017
 दिनांक 11-10-2017 की शर्तों के अनुसार अनुमोदित किया गया।

मुख्य अभियंता अधिकारी
 लखनऊ

- प्रतिबंध**
- मु. काविल तथा मु. वा. विवाद के संबंध में प्रकृति की कोई विवेचना नहीं होगी। विकासकर्ता लेवल परी मु. वा. विवाद/विवाद का प्रकृति का स्वामि व अन्य विकासकर्ता कम्पनी के नाम है। मु. वा. के मु. वा. पर विकास नाम का काविल ग्राम नाम की मु. वा. व अन्य की मु. वा. होने के कारण विकासकर्ता के पक्ष में नहीं है, उस मा. वा. पर विकासकर्ता वक एक कोई निर्माण या विकास कार्य नहीं करेगा जब तक कि उस मा. वा. का पुनर्हण/अधिग्रहण/मु. वा. ग्राम की कार्यवाही विकासकर्ता के पक्ष में न हो जाये।
 - सर्वेक्षण कार्यालय के जम में क्षेत्र सर्वेक्षण नाम के अनुसार पुनर्हण किया जाना सुनिश्चित करना होगा।
 - लेवल सर्वेक्षण प्लान व सर्वेक्षण प्लान के अनुसार लेवल पर भी विकास कार्य पूर्ण करने होंगे।
 - प्रकृति ग्राम नाम अधिकारी के निर्देशों का पालन करना होगा।
 - प्रकृति प्रकृति पर कार्य करना होगा।
 - प्रकृति सर्वेक्षण एवं लेवल सर्वेक्षण के अनुसार पुनर्हण करना होगा।
 - सर्वेक्षण प्लान-2010, लेवल प्लान का अनुपालन एवं निर्माण समतल का 1 प्रतिशत लेवल सेट नियमानुसार जमा करना होगा।
 - लेवल पर सांघीक रूप से विकासवादी विवेचन हेतु रूम का निर्माण एवं बमबारीत सुविधाओं का विकास करना होगा।
 - लेवल पर मानचित्र सर्वेक्षण सम्बन्धी सुचनाएं लगाना होगा।
 - यदि कोई देवदार निकलती है तो अधिकार द्वारा मीने जाने पर अतिरिक्त जमा करना होगा।
 - यदि भविष्य में देवी कोई बात प्रकाश में आती है कि विकासकर्ता द्वारा कोई कृषि धुसा कर मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा किसी प्रविष्टि का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।
 - मैकेनिकल चार्जिंग हेतु पूर्व सर्वेक्षण मानचित्र के समान प्रस्तुत किए गए मा. वा. की अथवा निगत समयावधि अनर्गत बदला कर संशोधित किए गए मा. वा. प्रस्तुत करनी होगी।

यदि कोई देवदार निकलती है तो अधिकार द्वारा मीने जाने पर अतिरिक्त जमा करना होगा।

यदि भविष्य में देवी कोई बात प्रकाश में आती है कि विकासकर्ता द्वारा कोई कृषि धुसा कर मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा किसी प्रविष्टि का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।

यदि भविष्य में देवी कोई बात प्रकाश में आती है कि विकासकर्ता द्वारा कोई कृषि धुसा कर मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा किसी प्रविष्टि का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।




DRAWING TITLE
 SUBMISSION DRAWING
 ELEVATION & SECTION OF 3 BHK + SERVAANT UNIT

ARCHITECT
 SCALE: 1:100 DATE: SEP-2017

CLIENT OWNERS
 OMAXE LTD
 OMAXE TOWNSHIP FLOOR TC-3442
 VIBHUTI KOWALD, GOMTI NAGAR
 LUCKNOW-226011
 CALL: 952214913000, 8000173

ARCHITECTS SIGNATURES
 DEEPA VASHISTA
 CAJ/M/32567

DRAWING NUMBER: INT./KOGH/3/5/01-01/2



PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT